भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1136

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

निर्यात का प्रतिशत

1136. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश से निर्यात का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में निर्यात के प्रतिशत में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस गिरावट को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम राज्य–वार उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क): पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 में भारत के समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं एवं सेवाएं) की प्रतिशत वृद्धि 35.88% थी।

(ख) एवं (ग): चालू वित्त वर्ष 2022–23 (अप्रैल–दिसम्बर) में समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं एवं सेवाएं) की प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.64 प्रतिशत थी। 2022–23 (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान राज्य वार व्यापारिक वस्तु निर्यात का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित उपाए किए हैं:

(i) विदेश व्यापार नीति (2015–20) 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से शुरू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहा एवं इस्पात की वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत लाया किया गया है। इसी प्रकार से, 432 प्रशुल्क लाइनों में विसंगतियों का समाधान किया गया है और संशोधित दरों को दिनांक 16.01.2023 से लागू किया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुपालन द्वारा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उनमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अड़चनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।

(ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

***

08 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1136 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर हेतु संदर्भित अनुलग्नक

चालू वित्त वर्ष 2022–23 (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान व्यापारिक वस्तु निर्यात का राज्य–वार ब्योरा

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

क्र. सं.	राज्य	2021–22 (अप्रैल–नवंबर)	2022–23 (अप्रैल–नवंबर)	% परिवर्तन
1	गुजरात	79558.9	98986.1	24.4
2	महाराष्ट्र	46919.8	48065.3	2.4
3	तमिलनाडु	22141.6	26379.6	19.1
4	कर्नाटक	15720.4	18560.3	18.1
5	उतार प्रदेश	12922.5	14645.4	13.3
6	आंध्र प्रदेश	12906.6	13329.4	3.3
7	हरियाणा	9548.2	10341.3	8.3
8	पश्चिम बंगाल	8963.6	8719.1	-2.7
9	तेलंगाना	7084.2	7425.1	4.8
10	ओडिशा	10563.4	7420.8	-29.8
11	राजस्थान	6020.8	6389.2	6.1
12	मध्य प्रदेश	4917.6	5407.0	10.0
13	दिल्ली	5040.4	5136.2	1.9
14	पंजाब	4501.0	4365.8	-3.0
15	केरल	2928.0	2986.7	2.0
16	दादरा और नगर हवेली	2416.4	2465.6	2.0
17	छत्तीसगढ़	2328.8	1820.2	-21.8
18	बिहार	1410.2	1808.4	28.2
19	गोवा	1621.2	1608.5	-0.8
20	हिमाचल प्रदेश	1377.5	1433.4	4.1
21	उत्तराखंड	1251.2	1051.0	-16.0
22	झारखंड	1688.4	924.8	-45.2
23	दमन और दीव	474.4	454.9	-4.1
24	पांडिचेरी	312.9	335.8	7.3
25	असम	294.7	335.1	13.7
26	जम्मू और कश्मीर	154.4	140.9	-8.8
27	चंडीगढ़	60.9	89.9	47.6
28	त्रिपुरा	12.1	14.2	17.1
29	सिक्किम	12.6	12.5	-0.2
30	मेघालय	6.2	6.3	2.1
31	अरुणाचल प्रदेश	1.4	2.4	72.5
32	अंडमान और निकोबार	0.6	1.4	119.8
33	नगालैंड	0.7	1.1	57.7
34	मणिपुर	0.9	0.6	-25.3
35	लद्दाख	0.0	0.0	-46.3
36	लक्षद्वीप	0.2	0.0	-99.8
37	मिजोरम	3.8	0.0	-100.0
38	अनिर्दिष्ट	2607.0	7621.4	192.3
कुल निर्यात		**265773.5**	**298285.8**	**12.2**

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1120

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार घाटा

1120 प्रो. सौगत रायः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान व्यापार घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) व्यापार घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) निर्यात और आयात के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या निर्यात धीरे–धीरे कम हो रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): विगत तीन वर्षो के दौरान भारत का समग्र (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाओं) व्यापार घाटा निम्नानुसार हैः

वर्ष	व्यापार घाटा (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)
2019–20	–76.4
2020–21	–13.2
2021–22	–83.5

स्रोतः आरबीआई और डीजीसीआईएंडएस

व्यापार घाटा वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति में अंतर, मुद्रा में उतार–चढाव, अंतरराष्ट्रीय कीमतों आदि के कारण विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात में सापेक्ष उतार–चढ़ाव पर निर्भर है।

(ग) से (ड.): भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) 2021–22 (अप्रैल–दिसम्बर) में 489.7 अमेरिकी बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022–23 (अप्रैल–दिसम्बर) में 576.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर हो गया, जो 17.64 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। सरकार समग्र घाटे पर नजर रखती है और इसका समाधान करने हेतु समय–समय पर उपाय करती है। सरकार द्वारा विशेष रूप से निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैंः

(i) विदेश व्यापार नीति (2015–20) 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से शुरू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्युटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहा एवं इस्पात की वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत लाया गया है। इसी प्रकार से, 432 प्रशुल्क लाइनों में विसंगतियों का समाधान किया गया है और संशोधित दरों को दिनांक 16.01.2023 से लागू किया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुपालन द्वारा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उनमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अड़चनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।

(ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1080

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

आयात–निर्यात

1080. श्री धर्मवीर सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत द्वारा आयात और निर्यात की गई वस्तुओं/मदों/पदार्थों (वस्तुओं) का वस्तु, मात्रा और देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान किन–किन देशों में भारतीय वस्तुओं/मदों/पदार्थों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आयात–निर्यात के व्यवसाय से कितने युवा जुड़े है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क): विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत में आयातित शीर्ष 40 वस्तुओं का मूल्य अनुलग्नक–I में हैं। विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत से निर्यातित शीर्ष 40 वस्तुओं का मूल्य अनुलग्नक–II में हैं। विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शीर्ष 40 देशों से भारत में आयात की गई व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य अनुलग्नक–III में हैं। विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शीर्ष 40 देशों में भारत से निर्यात की गई व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य अनुलग्नक–IV में हैं।

(ख): आईटीसी (एचएस) कोड़ 7113, 7114, 7155 और 7118 के तहत दक्षिण कोरिया से सोना और चाँदी का आयात डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 25/2015–20 दिनांक 25.08.2017 के तहत प्रतिबंधित है। चीन से दूध और दूध से बने उत्पाद (चॉकलेट और चॉकलेट उत्पाद और या सामग्री के रूप में दूध और सॉलिड दूध युक्त खाद्य पदार्थ सहित) कैंडी/मिठाई का आयात निषिद्ध है। उक्त निषेध को डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 01/2015–20 दिनांक 23.04.2019 के माध्यम से उस अवधि तक बढ़ाया गया जब तक प्रवेश पत्तनों पर सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता मेलामाइन के परीक्षण के लिए उपयुक्त रुप से अपग्रेड नहीं की गई हैं।

एफटीपी के पैरा 2.16(क), 2.17 और 2.19 क्रमशः ईराक से हथियारों और संबंधित सामग्रियों के आयात, कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) से विशिष्ट वस्तुओं के प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से आयात और सोमालिया से चारकोल के आयात को निषिद्ध करते हैं।

राजनीतिक घटनाक्रम और सुरक्षा संबंधी चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत ने अधिसूचना संख्या 05/2019–सीमाशुल्क दिनांक 16.02.2019 के तहत पाकिस्तान के पक्ष में से सर्वाधिक कृपापात्र राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा वापस ले लिया है।

भारत द्वारा किसी विशेष देश पर निर्यात संबंधी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और भारत एफटीपी के पैरा 2.16 से 2.19 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का पालन करता है।

(ग) आयात और निर्यात के आंकड़े आयात–निर्यात कोड (आईईसी) के अनुसार संग्रहीत किए जाते हैं और यह युवा संबंधी डेटा एकत्र नहीं करता है।

8 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1080 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत में आयात की गई शीर्ष 40 वस्तुओं का मूल्य

अमेरिकी मिलियन डॉलर में मूल्य							
क्रम सं.	**विवरण**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (अप्रैल–दिसंबर)**
1	पेट्रोलियम उत्पाद	37465	46554	41289	25804	67472	73630
2	मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर	25872	25972	20693	18149	27679	19075
3	ड्रग फॉर्मूलेशन, बॉयोलोजिक्स	12909	14389	15941	19042	19001	14470
4	लोहा और इस्पात	11245	9742	9278	12124	22906	10086
5	सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण	12807	12948	13745	6626	11059	9685
6	दूरसंचार उपकरण	1203	2707	4806	4433	7378	8758
7	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	6708	8425	8968	8126	10349	8089
8	कार्बनिक रसायन	7142	9327	8350	7637	10946	7444
9	लोहे और इस्पात के उत्पाद	6770	7259	7006	6557	8786	7339
10	एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	4801	5731	5115	5797	10642	6867
11	आरएमजी कपास एक्सेसरीज सहित	8511	8695	8643	6868	9040	6847
12	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	5345	5885	5679	5524	8000	6498
13	मोटर वाहन/कारें	8473	8500	7798	5106	7573	6489
14	समुद्री उत्पाद	7389	6803	6722	5962	7772	6286
15	अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद	4488	5260	5620	5730	7047	5821
16	ऑटो पूर्जे/पार्ट्स	5207	5785	5305	4958	6876	5446
17	सूती कपड़े, मेडअप आदि।	5483	5947	5968	6024	8201	5209
18	चावल (बासमती के अलावा)	3637	3038	2031	4811	6134	4663
19	कृषि रसायन	2559	3157	3350	3580	4897	4172
20	अन्य वस्तुएं	2597	3310	3386	3115	4094	4069
21	चीनी	811	1360	1966	2790	4603	3994
22	मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप	4826	4981	4821	3806	5615	3679
23	बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स	3540	3911	3886	4430	4469	3478
24	चावल– बासमती	4170	4712	4372	4018	3538	3337
25	अन्य विविध इंजीनियरिंग वस्तुएँ	2436	2689	2775	2830	3888	3124
26	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	2039	2506	3042	2783	3270	3057
27	इलेक्ट्रॉनिक पूर्जे	2139	2396	2521	2431	2991	2899
28	मसाले	3115	3322	3621	3984	3896	2753
29	आईसी इंजन और पार्ट्स	2403	2759	2556	2494	3358	2738
30	अन्य कपडा सामग्री के आरएमजी	3122	3223	3065	2574	3510	2573
31	जहाज, नाव और फ्लोटिंग संरचना	3075	5700	4558	4488	3601	2559
32	प्लास्टिक के कच्चे माल	3236	4484	3406	3289	4164	2550
33	भैंस का मांस	4037	3587	3200	3171	3304	2386
34	कागज, कागज बोर्ड और उत्पाद	1475	2039	2004	1998	3247	2363
35	ऑटो टायर और ट्यूब	1786	1910	1881	1968	2923	2301
36	मानव निर्मित फाइबर के आरएमजी	4747	3853	3506	2632	3263	2219
37	दो पहिया और तिपहिया वाहन	2002	2127	2112	2058	2985	2164
38	चीनी मिट्टी की चीजें और संबद्ध उत्पाद	1398	1688	2019	2209	2386	1934
39	सूती धागा	3425	3896	2761	2791	5498	1915
40	रंग	2192	2539	2687	2346	3079	1895
उपरोक्त वस्तुओं का कुल निर्यात		**236584**	**263112**	**250449**	**225063**	**339437**	**274857**
% हिस्सा		**78**	**80**	**80**	**77**	**80**	**82**
भारत से कुल निर्यात		**303526**	**330078**	**313361**	**291809**	**422004**	**336335**

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस। मात्रा की इकाइयाँ योगात्मक नहीं हैं।

8 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1080 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत से निर्यात की गई शीर्ष 40 वस्तुओं का मूल्य

							अमेरिकी मिलियन डॉलर में मूल्य
क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रैल–दिसंबर)
1	पेट्रोलियमः कच्चा	87372	114042	102749	59478	122449	127242
2	कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	22901	26178	22455	16275	31718	40550
3	पेट्रोलियम उत्पाद	21286	26879	27802	23206	39361	36540
4	सोना	33657	32910	28230	34604	46166	28388
5	मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर	34279	27076	22459	18888	31008	23537
6	इलेक्ट्रॉनिक पूर्जे	10183	15746	16319	15295	25939	18293
7	वनस्पति तेल	11638	9890	9673	11089	18992	16102
8	कार्बनिक रसायन	12428	14250	12223	11092	17772	14407
9	प्लास्टिक के कच्चे माल	10690	11422	10371	9694	14985	13360
10	लोहा और इस्पात	10432	12582	10734	8279	12613	12988
11	विनिर्मित उर्वरक	4648	6635	6674	6830	12718	12643
12	दूरसंचार उपकरण	21848	17918	14225	14879	15222	12148
13	कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स	8209	8955	9033	10433	15173	11360
14	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	10482	12470	11981	10275	13166	11054
15	अवशिष्ट रसायनिक और संबद्ध उत्पाद	6523	7544	7505	8294	10924	9065
16	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	8288	9861	11278	7074	10210	8581
17	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	6923	8010	7928	7414	9004	8045
18	अकार्बनिक रसायन	4763	5657	4750	4494	7148	7414
19	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	4378	4843	5018	4560	5821	5669
20	ताँबा और तांबे से बने उत्पाद	4575	5347	5147	4665	7114	5664
21	जहाज, नाव और फ्लोटिंग संरचना	4793	5808	5641	4216	4209	5605
22	एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	4605	5539	4473	4110	6163	5531
23	विमान, अंतरिक्ष यान और पार्ट्स	7677	7615	9971	5743	4996	5281
24	चाँदी	3214	3748	2728	790	3276	5097
25	ऑटो पूर्जे/पार्ट्स	5133	5412	4697	4152	5647	4801
26	बल्क खनिज और अयस्क	6207	3878	2980	2704	5842	4763
27	चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण	4162	4632	4608	4148	5893	4604
28	अन्य वस्तुएं	4962	4990	4783	4458	5778	4536
29	अन्य विविध इंजीनियरिंग वस्तुएँ	3465	3906	3687	3243	4457	3999
30	कागज, कागज बोर्ड और उत्पाद	3303	3559	3318	2714	3932	3655
31	लोहे और इस्पात के उत्पाद	4185	5074	4635	3757	4690	3597
32	बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स	2993	3560	3416	3845	4732	3414
33	एसी, प्रशीतन मशीनरी आदि	3386	3744	3718	2964	3739	3142
34	एक्यूमूलेटर्स और बैटरी	1247	1747	1727	1570	2346	2554
35	मानव निर्मित यार्न, कपड़े, मेडअप	1896	2202	2191	1974	2951	2370
36	जूते को छोड़कर अन्य रबड उत्पाद	2141	2392	2041	2103	2839	2317
37	मशीनी औजार	2538	3524	3134	2207	3041	2312
38	प्लास्टिक शीट, फिल्म, पीएलटीएस आदि	1417	1904	1948	1816	2653	2231
39	आईसी इंजन और पार्ट्स	2642	2425	2232	1854	2601	2161
40	ड्रग फॉर्मूलेशन, बायोलॉजिकल्स	1841	2019	2255	2464	3335	1913
उपरोक्त वस्तुओं का कुल आयात		**407310**	**455891**	**420733**	**347650**	**550623**	**496926**
% हिस्सा		**88**	**89**	**89**	**88**	**90**	**90**
भारत से कुल आयात		**465581**	**514078**	**474709**	**394436**	**613052**	**551540**

8 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1080 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

विगत पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शीर्ष 40 देशों से भारत में आयात की गई व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य

							(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)
क्र. सं.	स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रैल–दिसंबर)
1	चीनी लोक गणराज्य	76381	70320	65261	65212	94571	75869
2	संयुक्त अरब अमीरात	21739	29785	30257	26623	44834	40767
3	यूएसए	26611	35550	35820	28888	43314	38952
4	रूस	8574	5840	7093	5486	9870	32818
5	सऊदी अरब	22070	28479	26857	16187	34101	32448
6	इराक	17616	22373	23740	14287	31927	27363
7	इंडोनेशिया	16439	15850	15062	12470	17703	23618
8	सिंगापुर	7467	16282	14747	13305	18962	18534
9	कोरिया गणराज्य	16362	16759	15660	12773	17477	16029
10	ऑस्ट्रेलिया	13994	13131	9782	8247	16756	15049
11	हांगकांग	10676	17987	16935	15173	19097	14129
12	कतर	8409	10722	9686	7930	13194	13059
13	स्विट्जरलैंड	18923	18088	16900	18231	23392	12514
14	जापान	10973	12773	12435	10925	14400	12172
15	जर्मनी	13296	15161	13691	13643	14968	11444
16	मलेशिया	9012	10819	9782	8373	12424	10072
17	कुवैत	7166	7431	9574	5214	11002	9593
18	थाईलैंड	7135	7442	6788	5682	9333	8581
19	दक्षिण अफ्रीका	6835	6517	6970	7568	10966	8402
20	यूनाईटेड किंगडम	4807	7562	6713	4956	7018	7346
21	बेल्जियम	5993	10469	8880	6941	9952	7157
22	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	5019	7192	7283	6121	7439	6650
23	ओमान	4264	2759	3669	3088	6841	6500
24	ताइवान	3926	4577	4046	4037	6235	6019
25	नाइजीरिया	9501	10885	10214	5672	10292	5809
26	ब्राजील	5498	4406	3075	3016	5713	5323
27	नीदरलैंड	2513	4063	3391	3318	4478	4590
28	इटली	4707	5292	4491	3862	5049	4101
29	फ्रांस	6524	6666	6169	4343	5782	3977
30	तुर्की	2132	2388	2117	1467	1997	3234
31	अर्जेंटीना	2229	1955	2327	2627	4202	3196
32	मेक्सिको	3930	5577	4297	2846	4248	3176
33	कनाडा	4729	3515	3880	2686	3133	2961
34	अंगोला	4324	4028	3649	1880	2725	2771
35	आयरलैंड	795	423	604	415	1136	2296
36	स्पेन	1663	1681	1613	1512	2053	2296
37	मोरक्को	780	1327	953	1437	2244	2266
38	बोलीविया	667	852	846	1159	2073	2244
39	तंजानिया गणराज्य	1030	904	1024	935	2279	2039
40	कोलंबिया	593	1055	811	1404	2964	2028

उपरोक्त गंतव्यों से कुल आयात	**395299**	**448882**	**427090**	**359938**	**556139**	**507388**
भारत के कुल आयात में उपरोक्त का % हिस्सा	**85**	**87**	**90**	**91**	**91**	**92**
भारत का कुल आयात	**465581**	**514078**	**474709**	**394436**	**613052**	**551539**

8 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1080 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

विगत पाँच वर्ष और चालू वर्षों के दौरान शीर्ष 40 देशों से भारत को व्यापारिक वस्तु निर्यात का मूल्य

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

क्र. सं.	गंतव्यों	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रेल–दिसंबर)
1	यूएसए	47878	52406	53089	51623	76167	59688
2	संयुक्त अरब अमीरात	28146	30127	28854	16680	28045	23316
3	नीदरलैंड	6261	8813	8366	6473	12544	14106
4	चीनी लोक गणराज्य	13334	16752	16613	21187	21260	11037
5	सिंगापुर	10203	11572	8923	8676	11151	8887
6	बांग्लादेश लोक गणराज्य	8614	9210	8201	9692	16156	8819
7	यूनाईटेड किंगडम	9691	9309	8738	8158	10461	8469
8	ब्राजील	3063	3801	3967	4245	6489	7949
9	सऊदी अरब	5411	5562	6237	5857	8759	7924
10	जर्मनी	8688	8902	8291	8125	9883	7599
11	इंडोनेशिया	3964	5276	4129	5026	8472	7452
12	तुर्की	5091	5453	4970	3953	8716	7294
13	हांगकांग	14690	13002	10967	10162	10985	7255
14	बेल्जियम	6207	6730	5810	5236	10084	6735
15	दक्षिण अफ्रीका	3825	4067	4108	3934	6085	6729
16	इटली	5710	5593	4971	4736	8181	6416
17	इजराइल	3364	3718	3363	2702	4796	6273
18	नेपाल	6613	7766	7160	6839	9646	6106
19	फ्रांस	4900	5233	5098	4782	6641	5743
20	ऑस्ट्रेलिया	4012	3520	2852	4044	8283	5626
21	मलेशिया	5702	6436	6365	6058	6995	5473
22	कोरिया आरपी	4461	4705	4845	4685	8085	5127
23	टोगो	409	694	1041	1547	3012	4519
24	थाईलैंड	3654	4441	4299	4238	5751	4357
25	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	7813	6507	5060	5000	6703	4288
26	जापान	4734	4862	4520	4435	6177	4189
27	श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य	4476	4710	3801	3498	5802	4186
28	नाइजीरिया	2255	3005	3610	3135	4663	4093
29	मेक्सिको	3783	3842	3624	3087	4425	3887
30	स्पेन	3995	4183	3945	3239	4725	3436
31	ओमान	2439	2246	2262	2355	3148	3359

32	कनाडा	2506	2851	2852	2961	3764	3179
33	तंजानिया गणराज्य	1619	1704	1740	1439	2301	3041
34	मिस्र अरब गणराज्य	2392	2886	2504	2264	3744	2956
35	केन्या	1975	2072	2109	1896	2632	2261
36	रूस	2113	2390	3018	2656	3255	2201
37	ताइवान	2157	2607	1675	1620	2757	2046
38	मोजाम्बिक	901	1073	2174	1231	1976	1802
39	पोलैंड	1541	1573	1548	1653	2724	1754
40	इराक	1462	1789	1878	1499	2403	1675
उपरोक्त गंतव्यों को कुल निर्यात		**260053**	**281389**	**267575**	**250620**	**367846**	**291248**
भारत के कुल निर्यात में उपरोक्त का % हिस्सा		**86**	**85**	**85**	**86**	**87**	**87**
भारत का कुल निर्यात		**303526**	**330078**	**313361**	**291809**	**422004**	**336335**

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1045

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चीन में तैयार माल का आयात

1045. श्री जय प्रकाश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार चीन में तैयार माल, जैसे विद्युत चालित मशीने, उपस्कर, चिकित्सीय उपकरण, इत्यादि के आयात में हुई अत्यधिक वृद्धि से चिन्तित है, जो आत्मनिर्भर भारत की उसकी रणनीति को निष्फल करने का कार्य करता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी अपनी प्रमुख योजनाओं के लिए घातक सिद्ध हो रहे ऐसे आयातों पर ध्यान रखने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्चा माल हैं और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और बिजली जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन श्रेणियों में आयात पर भारत की निर्भरता काफी हद तक घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर के कारण है। चिकित्सा उपकरणों के आयात में अप्रैल-नवंबर 2022 में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 35% की गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, प्रमुख योग्यता/अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एकीकृत करने के उद्देश्य से 14 कार्यनीतिक क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं।

(ग) और (घ) वाणिज्य विभाग नियमित आधार पर आयात की निगरानी करता है, हितधारक परामर्श आयोजित करता है और घरेलू बाधाओं/आपूर्ति की क्लिष्टता को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करने और उचित कार्रवाई करके इन्हें ठीक करने के उपायों पर विचार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को संवेदनशील बनाता है ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1038

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जी-20 शिखर सम्मेलन का व्यापार पर प्रभाव

1038. श्रीमती माला राय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने पर देश के व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो व्यापार नीति के रोडमैप और इससे सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : जी -20 देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 85% और वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक हिस्सा है। भारत के जी-20 की अध्यक्षता में समकालीन व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों जैसे लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला, वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करना, व्यापार के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स को उठाया जा रहा है। जी-20 चर्चाओं और निर्णयों से निकलने वाले परिणाम व्यापार को सकारात्मक रूप से सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा, जी 20 में चर्चा से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मजबूत होगा, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1036

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुपारी का निर्यात

1036. श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों से सुपारी का आयात किया जाता है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में आयात की गई सुपारी की कुल मात्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या घरेलू बाजार में इस तरह के आयात का सुपारी की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ङ.) क्या सुपारी उगाने वाले राज्यों कर्नाटक और केरल में बहुत से किसान सुपारी के पौधों को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले येल्लो लीफ रोग (वाईएलडी) के कारण संकट में हैं; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा सुपारी क्षेत्र में, अर्थात् वाईएलडी के नियंत्रण के लिए उपायों की पहचान करने के लिए पुनर्वास/पुन:रोपण कार्यक्रम और शोध अध्ययन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी,हां । सिंगापुर और यूएई समेत कुछ देशों से सुपारी का आयात किया जाता है। तथापि, चालू वित्त वर्ष सहित पिछले चार वर्षों में भूटान से सुपारी का कोई आयात नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आयात की गई सुपारी का देश-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ): कोझीकोड बाजार में शुष्क सुपारी के सम्बंध में सुपारी का घरेलू मूल्य 2017-18 में 19,038 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021-22 में 35,481 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और सागर बाजार में चाली सुपारी के घरेलू मूल्य में इसी तरह की वृद्धि देखी गई, जो 2017-18

में 20,847 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021-22 में 39,019 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। भारत सरकार ने सुपारी के आयात को हतोत्साहित करने और देश में सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं –

(i) सुपारी के आयात पर मूल सीमा शुल्क पहले से ही 100% की बाध्य दर पर है।

(ii) इसके अलावा, यदि लागत, बीमा और माल ढुलाई (सी.आई.एफ.) मूल्य 251 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है, तो सुपारी का आयात निषिद्ध है। ठीक है, सरकार ने बेरोकटोक आयात को प्रतिबंधित करने और घरेलू बाजार में घटिया गुणवत्ता की सुपारी के आगम को रोकने और घरेलू मूल्यों में अस्थिरीकरण को रोकने के लिए सुपारी पर 251 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई है।

(iii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने निम्न गुणवत्ता वाली सुपारी के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए गुणवत्ता मानक विकसित किए हैं।

(ङ) और (च) : जी,हां। भारत सरकार ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में सुपारी के पौधों में लीफ स्पॉट डिजीज (एलएसडी) और येलो लीफ डिजीज (वाईएलडी) से प्रभावित किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति (एनएससी) का गठन किया है।

***

अनुबंध-I

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 (नवंबर, 2022 तक) के दौरान सुपारी का देश-वार आयात
(मात्रा. एमटी में और **मूल्य** मिलियन यूएसडी में)

आईटीसीएच एस	विवरण	देश	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (नवंबर 2022 तक)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
08028010	साबूत	कनाडा	0.63	0.00	0	0	0	0	0	0
		इंडोनेशिया	839.00	3.04	897.00	1.93	1184.20	2.70	966.03	2.26
		मालदीव	0	0	0	0	0	0	2.60	0.02
		म्यांमार	0	0	1590.00	5.86	1390.69	4.80	6954.51	24.11
		सिंगापुर	0	0	0	0	27.00	0.14	0	0
		श्री लंका डीएसआर	54.00	0.20	244.00	0.91	1479.39	5.95	2482.00	8.80
		तंजानिया रिपब्लिक	0	0	0	0	0	0	18.00	0.06
		यू अरब ईएमटीएस	0	0	0	0	27.00	0.04	0	0
		वियतनाम सोशल रिपब्लिक	98.00	0.21	0	0	0	0	0	0
08028020	विभाजित	कनाडा	0.50	0.00	0	0	0	0	0	0
		इंडोनेशिया	3592.14	5.63	6741.08	11.74	1278.92	4.32	6505.00	27.72
		मलेशिया	0	0	0	0	221.59	0.79	375.00	0.65
		म्यांमार	0	0	205.00	0.58	734.45	2.44	4327.39	15.24
		नेपाल	0	0	0	0	421.99	1.43	1826.82	5.99
		सिंगापुर	0	0	0	0	52.00	0.14	81.00	0.14
		श्री लंका डीएसआर	0	0	0	0	0	0	3.90	0.02
		यू अरब ईएमटीएस	0	0	216.80	0.78	885.96	1.94	2,350.00	6.46

आईटीसीएचएस	विवरण	देश	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (नवंबर 2022 तक)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
08028030	**ग्राउंड**	श्री लंका डीएसआर	321.00	1.29	89.00	0.35	0	0	0	0
08028030 कुल			**321.00**	**1.29**	**89.00**	**0.35**	**0**	**0**	**0**	**0**
08028090	**अन्य सुपारी**	इंडोनेशिया	2676.00	3.42	2223.00	3.02	3643.08	7.21	4161.25	13.73
		म्यांमार	0	0	2022.76	7.17	5520.63	19.88	17307.32	60.24
		सिंगापुर	0	0	0	0	14.00	0.05	135.04	0.56
		श्री लंका डीएसआर	9179.51	34.19	9759.61	36.06	8967.28	37.68	12628.35	46.78
		यू अरब ईएमटीएस	0	0	0	0	130.80	0.67	1328.00	5.02
		अनिर्दिष्ट	0	0	0.05	0.00	0	0	0	0
स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता										

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.1033**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन के साथ व्यापार घाटा

1033. श्री अब्दुल खालेक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के साथ व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है;
(ख) यदि हां, तो व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के कारण क्या हैं;
(ग) सरकार के अनुसार हाल में चीन से हुए आयात में 20% की वृद्धि के क्या कारण हैं; और
(घ) क्या चीन को किए जाने वाले निर्यात में हाल में 25% से अधिक की कमी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जी, नहीं। 2021-22 में चीन के साथ व्यापार घाटा 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-नवंबर 2022 की अवधि के दौरान व्यापार घाटा 58 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्चा माल है और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और बिजली जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों, कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों, टेलीफोन घटकों, आदि के आयात में वृद्धि का श्रेय भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने को दिया जा सकता है।

(घ) चीन को निर्यात 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 21.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 21.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान, चीन को निर्यात 11.01 बिलियन अमरीकी डॉलर था। चीन को निर्यात में कमी का श्रेय चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी को दिया जा सकता है जिससे वस्तुओं की मांग में कमी आई है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1024

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मसाला पार्क

1024. श्री हेमन्त पाटिल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश में गत तीन वर्ष में स्थापित किए गए मसाला पार्कों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन राज्यों में मसाला उत्पादक किसानों को बेहतर कीमतें देने के लिए इस प्रकार के नए पार्क स्थापित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्थानीय किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों को अपने उत्पाद इन मसाला पार्कों में लाने के लिए कोई सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(ड.) यदि हां, तो उपरोक्त पार्कों से पैदा हुए रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): मसाला बोर्ड ने अब तक देश भर में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। मसाला पार्कों का विवरण नीचे दिया गया है:

मसाला पार्क का नाम	**राज्य**	**शामिल मसाले**
छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	लहसुन और मिर्च
गुना	मध्य प्रदेश	धनिया
गुंटूर	आंध्र प्रदेश	मिर्च

जोधपुर	राजस्थान	जीरा
रामगंजमंडी	राजस्थान	धनिया
पुट्टाडी	केरल	इलायची और काली मिर्च
रायबरेली	उत्तर प्रदेश	पुदीना
शिवगंगा	तमिलनाडु	मिर्च और हल्दी

वर्तमान में, नये मसाला पार्क की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ): मसाला पार्क का उद्देश्य स्थानीय किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पिसाई, तेल निष्कर्षण और मसालों की पैकेजिंग सहित सामान्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुविधाएं स्थापित करना है। इसके अलावा, गुना, जोधपुर, रामगंजमंडी, गुंटूर, रायबरेली और शिवगंगा मसाला पार्कों में निर्यातकों, व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठनों को अपने स्वयं के मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंड आवंटित किए गए हैं। मसाला पार्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। मसाला पार्कों में उपलब्ध प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

मसाला पार्क का नाम	**प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण**
छिंदवाड़ा	लहसुन सुखाने/निर्जलीकरण और मिर्च निष्कर्षण
गुना	बीज मसालों विशेष रूप से धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं
गुंटूर	मिर्च की सफाई, छंटाई, पिसाई और पैकेजिंग की सुविधाएं
जोधपुर	बीज मसालों विशेष रूप से जीरा के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं
रामगंजमंडी	बीज मसालों विशेष रूप से धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं
पुट्टाडी	इलायची और काली मिर्च की सफाई, ग्रेडिंग, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं
रायबरेली	टकसाल और अन्य जड़ी बूटियों के लिए तेल निकालने की सुविधा
शिवगंगा	मिर्च और हल्दी की सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पिसाई, पैकेजिंग की सुविधाएं

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1011

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

आरओडीटीईपी के तहत इस्पात

1011 श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस्पात को निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के दायरे में लाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभ प्राप्तकर्ताओं की पहचान, योजना की अवधि, व्यय लागत और आने वाली लागत इत्यादि के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्पात मध्यवर्तियों पर निर्यात करों में 15% की वृद्धि करने से, उद्योग निर्यात हेतु प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएगा;

(घ) यदि हां, तो उक्त कदम का क्या औचित्य है; और

(ड.) क्या सरकार की निर्यात कर घटाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 47 दिनांक 07.12.2022 के तहत निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट से संबंधित स्कीम (आरओडीटीईपी) के तहत 15.12.2022 से किए गए निर्यात के लिए पहले ही लोहा और इस्पात की वस्तुओं, अर्थात, आईटीसी (एचएस) के अध्याय 73 के तहत आने वाले उत्पादों को शामिल कर लिया है। आरओडीटीईपी के तहत अधिसूचित दरें और मूल्य सीमा, राजस्व विभाग में गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। आरओडीटीईपी स्कीम बजटीय ढ़ांचे और उसके तहत किए गए आवंटन के तहत प्रचालित होती है। उपलब्ध बजट और निर्यात पर अनुमानित व्यय के अनुसार निर्यात क्षेत्रों/वस्तुओं को कवर किया जाता है।

(ग) से (ड.): इस्पात एक नियंत्रण–मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके अनुकूल वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। हाल ही में, सरकार द्वारा लोहे और इस्पात की मौजूदा उच्च कीमतों से राहत प्रदान करने के लिए कुछ उपाय किए गए और मई, 2022 में इस्पात उत्पादों की कुछ श्रेणियों पर घरेलू उपलब्धता में सुधार और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्यात शुल्क लगाया गया। मौजूदा स्थिति के साथ–साथ इस्पात की वैश्विक उपलब्धता को देखते हुए सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.11.2022 के तहत लगाए गए इस निर्यात शुल्क को वापस ले लिया गया।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1007

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े

1007 श्री दयानिधि मारनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत बारह महीनों के दौरान विदेश व्यापार के संबंध में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और अनुमानों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विचलन या संशोधन महत्वपूर्ण अंतर के थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और व्यापार नीति बनाने में ऐसे संशोधनों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन महीनों में सर्वाधिक संशोधन हुए और इसके क्या कारण थे और तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने रेटिंग फर्मों और अर्थशास्त्रियों द्वारा संशोधन हेतु मासिक और संचयी लेखाओं के आंकड़ों में इतनी बड़ी विसंगतियों के मुद्दे उठाए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया है;

(ड.) क्या इसे सत्यापित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन संशोधनों, नीति निर्धारण पर इनका प्रभाव, व्यापार घाटे और वस्तु व्यापार आंकड़ों के संबंध में क्या टिप्पणियां की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): पिछले बारह महीनों के लिए विभिन्न चरणों में जारी किए गए निर्यात और आयात का विवरण निम्नानुसार हैः

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

माह	जारी करने के समय आयात का मूल्य			जारी करने के समय निर्यात का मूल्य		
	प्रेस रिलीज	प्रधान वस्तु स्तर के आंकड़े	8 अंकों के एचएस स्तर के आंकड़े (एमएसएफटी)	प्रेस रिलीज	प्रधान वस्तु स्तर के आंकड़े	8 अंकों के एचएस स्तर के आंकड़े (एमएसएफटी)
दिसंबर, 2021	59.5	59.8	59.8	37.8	39.2	39.2
जनवरी, 2022	51.9	53.1	52.3	34.5	35.1	35.2
फरवरी, 2022	55.4	57.0	55.7	34.6	37.1	37.1
मार्च, 2022	60.7	62.8	63.0	42.2	44.5	44.5
अप्रैल, 2022	60.3	60.2	60.2	40.2	39.8	39.8

मई, 2022	63.2	63.2	63.3	38.9	39.0	39.1
जून, 2022	66.3	66.6	66.3	40.1	42.4	42.4
जुलाई, 2022	66.3	66.3	66.3	36.3	38.4	38.5
अगस्त, 2022	61.9	63.6	63.6	33.9	36.9	36.9
सितंबर, 2022	61.2	64.0	64.0	35.4	36.9	35.4
अक्टूबर, 2022	56.7	59.0	59.0	29.8	31.4	31.5
नवंबर, 2022	55.9	58.2	58.2	32.0	34.8	34.8

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस। एमएसएफटी–विदेश व्यापार पर मासिक सांख्यिकी।

विदेश व्यापार संबंधी आंकड़े तीन चरणों में जारी किए जाते हैः– 1. प्रेस रिलीज (अगले महीने के 15वें दिन), 2. 168 प्रधान वस्तुओं हेतु जारी अनंतिम आंकड़े (अगले महीने के 25वें दिन) और 3. 8 अंको के स्तर के आईटीसी–एचएस में अंतिम आंकड़े (अगले महीने के 45वें दिन)।

वर्ष 2009–10 से कार्यान्वित गतिशील आंकड़ा संशोधन नीति के अनुसार माह विशेष के आंकड़ों को जारी करने के लिए इससे पिछले माह के आंकड़ों (प्रधान वस्तुएं और 8 अंकों के एचएस कोड्स दोनों के लिए) को भी संबंधित महीनों में विलंब से प्राप्त आंकड़ों (संशोधनों, यदि कोई हो सहित) जो उस माह के लिए जारी प्रारंभिक आंकड़ों के बाद प्राप्त हुए, को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा। इससे तुलनीयता स्थापित होगी क्योंकि मासिक आंकडा, यदि इसे अप्रैल से किसी विशेष माह तक जोड़ा गया है, नवीनतम जारी मासिक आंकड़ा में उस माह के सामने दिखाए गए संचयी आंकड़ों से मेल खाएगा।

(घ) और (ड.): वाणिज्य विभाग ने आंकड़ों की विसंगतियों के संबंध में मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। न्यूनतम विसंगतियों के साथ आंकड़े की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास एक सतत् प्रक्रिया है।

(च): आंकडा संशोधन आधिकारिक सांख्यिकी जैसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी जीडीपी और आरबीआई द्वारा जारी सेवाओं संबंधी विदेश व्यापार आंकड़ों सहित भुगतान संतुलन आंकड़ों के क्षेत्र में एक नियमित पद्धति है। व्यापार आंकड़ों को तीन चरणों में जारी करने में आधिकारिक आंकड़ा प्रणाली में इस पद्धति का अनुसरण किया जाता है ताकि न्यूनतम समय अंतराल के साथ त्वरित अनुमान तथा अनंतिम अनुमान प्रदान किए जा सकें जिससे 45 दिनों के समय अंतराल पर अंतिम रूप से जारी होने वाले विदेश व्यापार आंकडों की प्रतीक्षा किए बिना साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, निगरानी और नीति समीक्षा हेतु सहायता प्राप्त हो सके और सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 958**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

वेल्डिंग उपकरणों का आयात

958. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेल्डिंग उपकरणों के आयात पर भारत की अत्यधिक निर्भरता की ओर ध्यान दिया है, जिससे घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र और संबद्ध उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार घरेलू विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वेल्डिंग उपकरणों के आयात को कम करने हेतु कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का वेल्डिंग उपकरणों के आयात पर आयात-शुल्क बढ़ाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) वेल्डिंग उपकरण का भारत में आयात और पिछले तीन वर्षों के लिए भारत के कुल आयात के संबंध में ऑकड़ें निम्नानुसार है:

मूल्य मिलियन अम.डा.में

विवरण/वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
भारत द्वारा वेल्डिंग उपकरण का आयात	484.12	379.84	457.65

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत द्वारा वेल्डिंग उपकरण का आयात 2019-20 में 484.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 5.47% कम होकर वर्ष 2021-22 में 457.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

घरेलू उत्पादन और आपूर्ति, उपभोक्ता मांग और विभिन्न उत्पादों के लिए वरीयताओं के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। कई आयात भारत में आगे के निर्माण और भारत से निर्यात के लिए इनपुट हैं। हितधारकों के सुझावों के आधार पर, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आयात को कम करने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिसमें घरेलू क्षमता का निर्माण/बढ़ाना, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, चरणबद्ध निर्माण योजनाएँ, व्यापार सुधारात्मक विकल्पों का समय पर उपयोग, अनिवार्य तकनीकी मानकों को अपनाना, एफटीए उद्गम के नियमों (आरओओ) का प्रवर्तन शामिल है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग का एक 'आयात निगरानी कक्ष' नियमित रूप से मासिक आधार पर आयात में वृद्धि की निगरानी करता है और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों को संग्राही बनाता है। वाणिज्य विभाग का व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) यदि भारतीय उद्योग को आयात में वृद्धि या अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण 'गंभीर क्षति होती' अथवा 'क्षति के जोखिम' में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त शुल्क या मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) लगाकर किसी उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करता है।

घरेलू उद्योग से प्राप्त आवेदन के आधार पर डीजीटीआर ने अधिसूचना सं. 6/7/2022-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर, 2022, के माध्यम से चीन पी आर से लेजर कटिंग मशीन (एलसीएम), लेजर मार्किंग मशीन (एलएमएम) और लेजर वेल्डिंग मशीन (एलडब्ल्यूएम) सहित कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली "औद्योगिक लेजर मशीनों" के आयात के संदर्भ में एक पाटनरोधी जांच आरंभ की है और यह प्रगति पर है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 957

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रदर्शनी केंद्र

957. कुमारी गोड्डेति माधवी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने प्रदर्शनी केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में और अधिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त केन्द्रों पर नियमित प्रदर्शनियां सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क):वाणिज्य विभाग (डीओसी) केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों से प्राप्त निर्यात अवसंरचना परियोजना प्रस्तावों जिसमें प्रदर्शनी केंद्र शामिल है को निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। टीआईईएस योजना के तहत, प्रदर्शनी केंद्रों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्रियान्वयन एजेंसी	परियोजना का नाम	स्थिति	राज्य
1.	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	मिंटो हॉल, भोपाल, मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन केंद्र की स्थापना	पूर्ण	मध्य प्रदेश
2.	मैनिडको, मणिपुर सरकार	व्यापार एवं स्थायी प्रदर्शनी केंद्र, इम्फाल, मणिपुर में मुख्य प्रदर्शनी	पूर्ण	मणिपुर

		भवन (द्वितीय चरण) की स्थापना		
3.	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एमईपीजेड) - एसईजेड	एमईपीजेड एसईजेड, तांबरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में व्यापार सुविधा केंद्र का निर्माण	चल रहा है	तमिलनाडु
4.	सिपकोट	निर्यात व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना	पूर्ण	तमिलनाडु
5.	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	गोमती नगर, लखनऊ में व्यापार संवर्धन केन्द्र का विकास	चल रहा है	उत्तर प्रदेश

इसके अतिरिक्त, भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), वाणिज्य विभाग के तहत एक सीपीएसई को भारत में प्रगति मैदान और अन्य केंद्रों पर अपने प्रदर्शनी परिसर में विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन का अधिदेश प्राप्त है। इसकी तीन सहायक कंपनियां तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (टीएनटीपीओ), कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (केटीपीओ) और जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (जेकेटीपीओ) हैं। तदनुसार, आईटीपीओ और इसकी सहायक कंपनियों के निम्नलिखित प्रदर्शनी केंद्र हैं:

क्र.सं.	प्रदर्शनी केंद्र	राज्य
1.	भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)	दिल्ली
2.	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ)	तमिलनाडु
3.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (केटीपीओ)	कर्नाटक
4.	जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (जेकेटीपीओ)	जम्मू

(ख) और (ग) : जी हां, भारत सरकार वर्तमान में दिल्ली में दो भव्य प्रदर्शनी केंद्र विकसित कर रही है। उनमें से एक अत्याधुनिक **अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी**-सह-सम्मेलन केंद्र **(**आईईसीसी**)** है जिसे आईटीपीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र, छह आधुनिक प्रदर्शनी हॉल और बहुत सारी भूमिगत पार्किंग सुविधाएं शामिल हैं। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अक्टूबर, 2021 में प्रदर्शनी हॉल संख्या 2, 3, 4 और 5 का उद्घाटन किया गया था। आईईसीसी को सितंबर 2023 में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के आयोजन का स्थान भी माना जा रहा है।

एक अन्य विश्व स्तरीय प्रदर्शनी केंद्र सेक्टर-25, द्वारका, नई दिल्ली में **इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी)** है, जिसका कुल क्षेत्रफल 300,000 वर्ग मीटर है।

(घ) और (ङ) : वाणिज्य विभाग की बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना वर्ष 2003 से प्रचालन में है। यह योजना निर्यात और व्यापार के त्वरित विकास के लिए एक सक्षम वातावरण और अवसंरचना निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। एमएआई योजना के तहत समर्थित गतिविधियों में विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों का आयोजन और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना शामिल है।

एमएआई के अलावा आईटीपीओ और इसकी सहायक / संबद्ध कंपनियां नियमित रूप से विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करती हैं। ऐसे कुछ प्रमुख मेलों और प्रदर्शनियों में शामिल हैं:

- भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
- आहार - अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला
- इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर, चेन्नई
- इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर
- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला
- ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर, शिलांग

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.944

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

944. श्री बालक नाथ :
डॉ. मनोज राजोरिया:
श्रीमती रंजीता कोली:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान पडोसी देशों के साथ किए गए व्यापार का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान व्यापार संबंधों को विकसित करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ किए गए समझौतों का देश-वार ब्यौरा क्या है ;
(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और
(घ) पिछले पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए आयात और निर्यात का देश-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (घ) विगत पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान पड़ोसी देशों के साथ किए गए व्यापार का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान पड़ोसी देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(ग) व्यापार और आर्थिक संबंधों को सुदृढ करने के लिए सरकार सार्क देशों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है। इन देशों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाले उठाए गए मुद्दों का शीघ्र

समाधान के लिए लिया जाता है। सीमा पार व्यापार को बढ़ाने के लिए तंत्र का पता लगाने हेतु समय-समय पर इन देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

सरकार ने स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उत्पाद के विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर बार्डर हाट स्थापित किया है। भू सीमा शुल्क केंद्रों के उन्नयन के रूप में व्यापार अवसंरचना में सुधार से संबंधित मुद्दों को भी संबंधित राज्यों और पड़ोसी देशों के बीच समन्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, भारतीय निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, शीर्ष व्यापार निकायों आदि को बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि पड़ोस के देशों सहित विदेशों में कार्यक्रमों में भाग ले सकें।

*****

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा में दिनांक 08.02.2023 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 944 के भाग (क) और भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

<u>पिछले पांच वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ किए गए व्यापार का विवरण</u>

(मूल्य मिलियन अम.डा. में)

क्र.सं	देशों के नाम	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	अप्रैल-दिसंबर 2022
1	अफ़ग़ानिस्तान	1,143.53	1,150.89	1,527.42	1,335.27	1,065.40	647.59
2	भूटान	924.11	1,028.29	1,144.33	1,134.02	1,430.84	1,160.12
3	बांग्लादेश	9,299.99	10,254.86	9,465.49	10,783.22	18,134.30	10,355
4	नेपाल	7,051.34	8,274.34	7,871.95	7,511.62	11,016.79	6755.25
5	श्रीलंका	5,249.09	6,198.60	4,704.61	4,141.17	6,812.16	4,837.12
6	पाकिस्तान	2,412.83	2,561.44	830.58	329.26	516.36	1355.48
7	चीन	89,714.23	87,071.84	81,873.50	86,399.40	1,15,830.36	86879.65
8	म्यांमार	1,605.84	1,727.10	1,521.13	1,299.35	1,894.90	1245.71
	भारत का कुल व्यापार	7,69,107.15	8,44,156.51	7,88,070.32	6,86,244.36	10,35,056.45	8,84,462.41

(स्रोत : डीजीसीआईएस)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.922

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसईजेड का गैर-प्रचालन

922. डॉ.शशि थरूर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में औपचारिक रूप से अनुमोदित पांच विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के कार्यकरण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) उपर्युक्त अनुमोदित एसईजेडएस के वितरण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनके प्रचालन की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(ग) इनके परिचालन न किए जाने से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और एसईजेड इकाइयों की स्थापना मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित पहलें हैं। एसईजेड की स्थापना और संचालन में लगने वाला समय कई कारणों से हो सकता है, जिसमें वैधानिक/राज्य सरकार के निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव के कारण व्यवसाय संबंधी प्रतिकूल माहौल, राजकोषीय प्रोत्साहनों में बदलाव आदि शामिल हैं।पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुमोदित एसईजेड का राज्य/क्षेत्रवार वितरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण के तहत, क्षेत्राधिकार वाला विकास आयुक्त का कार्यालय नियमित रूप से सभी एसईजेड की स्थिति की समीक्षा करता है और आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और विकासकों के साथ नियमित आधार पर इंटरफेस करता है।

*****

8 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 922 का अनुबंध

क्र.सं.	विकासकर्ता का नाम	**स्थान**	एसईजेड का प्रकार क्षेत्रवार	क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमोदन पत्र की तिथि	अधिसूचना की तिथि
	मणिपुर					
1	मणिपुर आईटी एसईजेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	इम्फाल, मणिपुर	आईटी/आईटीईएस	10.85	29th अक्टूबर, 2013	26 फरवरी, 2014
	नागालैंड					
2	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	नागालैंड के दीमापुर जिला की धनसिरी सब-डिवीजन के तहत गणेशनगर	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण	50.7	27 फरवरी, 2009	9 जुलाई 2009
3	एचएन कंपनी	दीमापुर, नागालैंड	बहु उत्पाद	290	30 जुलाई, 2007	15 अक्टूबर, 2012
	त्रिपुरा					
4	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड)	पश्चिम जलेफा, सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	16.35	9 दिसंबर, 2019	16 दिसंबर, 2019
	सिक्किम					
5	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सिक्किम	नामली, पूर्व सिक्किम	आईटी/आईटीईएस	6.32	8 जून, 2021	अभी तक सूचित किया जाना है
	अरुणाचल प्रदेश					
6	व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश	बालिंगोंग, चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	बहु उत्पाद	30.2	23 सितंबर, 2022	अभी तक सूचित किया जाना है

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.81*

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चाय बागानों को बंद किया जाना

***81. श्री एम.बदरूद्दीन अजमल :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष रूप से असम में कार्यशील चाय बागानों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में चाय निर्यात की गई;

(ख) क्या असम के कुछ चाय बागानों सहित देश में कई चाय बागान या तो रूग्ण अवस्था में हैं या बंद पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से बंद पड़े हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने बागान पुनरूज्जीवित किए गए/पुनः खोले गए;

(ड.) क्या सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है/किये जाने का विचार है कि इन बागानों के रूग्ण अवस्था में होने के क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"चाय बागानों को बंद किया जाना" विषय पर लोक सभा में दिनांक 08 फरवरी,2023 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश में कुल 1567 चाय बागान हैं, जिनमें से 762 चाय बागान असम राज्य में हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई चाय की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2019-20	241.34	5457.10
2020-21	203.79	5311.53
2021-22	200.79	5415.78
2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)	189.18	5132.46

स्रोत: टी बोर्ड

(ख) और (ग):चाय अधिनियम, 1953 में रुग्ण/बंद चाय बागानों के लिए कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बागान को बंद घोषित किए जाने पर चाय बोर्ड द्वारा उसे बंद माना जाता है। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में कुल 07 चाय बागान बंद हैं। वर्तमान में असम राज्य में राज्य सरकार ने किसी भी चाय बागान को बंद घोषित नहीं किया है। देश में वर्तमान में बंद चाय बागानों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	चाय बागान का नाम	अवधि जिसके लिए उद्यान बंद रहे हैं
1	पश्चिम बंगाल	पानीघाटा टी.ई	7 वर्ष से अधिक
2		ढेकलापारा टी.ई	16 वर्ष से अधिक
3		लंकापारा टी.ई	7 वर्ष से अधिक
4		दुतेरिया टी.ई	3 वर्ष से अधिक
5	केरल	पीरमेड और लोनेट्री टी.ई	6 वर्ष से अधिक
6		कोट्टामाला और बोनामी टी.ई	9 और 8 साल से अधिक
7		बोनैकॉर्ड टी.ई	7 वर्ष से अधिक

स्रोत: टी बोर्ड

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊपर उल्लिखित चाय बागानों में से किसी भी चाय बागान को पुन: नहीं खोला गया है। हालांकि, 12 चाय बागान जो पूर्व में बंद कर दिए गए थे, ने विगत तीन वर्षों के दौरान अपना परिचालन फिर से आरंभ कर दिया है।

(ङ) और (च): चाय अधिनियम, 1953 में रुग्ण/बंद चाय बागानों की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। चाय बोर्ड ने चाय बागानों को बंद करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। चाय बागानों के बंद होने का मुख्य कारण खराब उद्यान प्रबंधन प्रणाली, अत्यधिक ऋण-उन्मुख वित्त पोषण कार्यनीति, स्वामित्व विवाद, पुरानी झाड़ियां और बागानों की परिणामी खराब उपज आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1141

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाद्यान्नों का निर्यात

1141. श्री छतर सिंह दरबार:

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि में विश्व खाद्यान्न बाजार में देश का हिस्सा कितना है:

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्न निर्यात में गिरावट के परिणामस्वरूप इस बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार किया है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन की खुली बाजार नीति के तहत देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): 2021 में निर्यातित मूल्यों के आधार पर विश्व खाद्यान्न बाजार में भारत की हिस्सेदारी 7.66% थी (स्रोत:यूएन कॉमट्रेड और आईटीसी सांख्यिकी पर आधारित आईटीसी ट्रेड मैप गणना)।

(ख) से (घ): भारत के खाद्यान्न निर्यात ने पिछले कुछ वर्षों में एक स्थिर वृद्धि दर्ज की है जो यूएन कॉमट्रेड सांख्यिकी के अनुसार 2010 में विश्व खाद्यान्न निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.38% से बढ़कर 2021 में 7.66% हो गई है। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने खाद्यान्न सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियों और क्लस्टर स्तर की समितियों का गठन किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजना भी तैयार की गई है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है, जो खाद्यान्न सहित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को अपनी स्कीम"एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात

संवर्धन योजना", के घटकों जैसे निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास (बीएसएम) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करके; आयात करने वाले देशों के साथ सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस), व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) और बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाकर; और विभिन्न देशों में निर्यात अवसरों का दोहन करने के लिए भारतीय मिशनों के साथ नियमित बातचीत करके निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यातकों की सहायता करता है।

इसके अलावा, एपीडा के तत्वावधान में चावल और पोषक-अनाज के लिए निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) स्थापित किए गए हैं। ईपीएफ इन उत्पादों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित विकास की पहचान और पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करते हैं, निर्यात के पूरे उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला में हितधारकों तक पहुंचते हैं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों और अन्य उपायों के लिए सिफारिशें करते हैं।

कृषि और सम्बंधित उत्पादों के उत्पादन और विपणन में स्केल की सामूहिक अर्थ व्यवस्थाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित किए गए है। यह उत्पादन की औसत लागत को कम करने में मदद करता है, इसलिए विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1137

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

अधिसूचित क्षेत्र

1137. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि विशाल क्षेत्र को बहुत पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है,
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में खाली स्थानों को गैर- अधिसूचित करने के लिए कदम उठाएगी ताकि विकासात्मक गतिविधियों के लिए उक्त भूमि का इष्टतम उपयोग किया जा सके; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वाणिज्य विभाग ने 377 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के संबंध में कुल 39737.41 हेक्टेयर क्षेत्र अधिसूचित किया है, जिसमें से 19080.87 हेक्टेयर खाली पड़ा है।

(ख) और (ग): एसईजेड प्राथमिकत: निजी निवेश संचालित पहलें हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, 'भूमि' राज्य का विषय है। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) एसईजेड अधिनियम और नियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन एसईजेड की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा एसईजेड की स्थापना की सिफारिश करने के बाद ही मंजूरी दी जाती है। इसके अलावा, अधिसूचित एसईजेड का आंशिक/पूर्ण गैर-अधिसूचन विकासक के अनुरोध पर संबंधित विकास आयुक्त द्वारा अनुशंसित और संबंधित राज्य सरकार तथा राजस्व विभाग से सभी शुल्कों और एसईजेड डेवलपर द्वारा प्राप्त कर लाभों की वापसी के संबंध में अनापत्ति प्राप्त करने के बाद किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वाणिज्य विभाग ने गैर-अधिसूचन के प्रस्ताव के सुचारू प्रसंस्करण के लिए दिनांक 14.07.2016 को निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, डीओसी ने 28.01.2019 के दिशा-निर्देशों के तहत एसईजेड को पूर्ण रूप से गैर-अधिसूचन के मामले में कुछ शर्तों में ढील दी थी।

*****

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1113**

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

कॉफी निर्यातक

1113 श्री रतन लाल कटारिया :

वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी का निर्यात एक बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या छह दशकों में भारतीय कॉफी का निर्यात 19.7 हजार टन से बढ़कर 2021-22 में 111.07 मिलियन टन हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जी हां, 2021-22 के दौरान, भारतीय कॉफी निर्यात 1.016 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो पिछले वर्ष 2020-21 से 38% बढ़ा है।

(ग) और (घ) वर्ष 2021-22 में, वैश्विक कॉफी निर्यातों में लगभग 6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में कॉफी का 5 वां सबसे बड़ा निर्यातक था।

2021-22 के दौरान दुनिया के शीर्ष 5 कॉफी निर्यातक देश निम्नलिखित हैं:

देश	**कॉफ़ी निर्यात (लाख टन)**
ब्राजील	23.70
वियतनाम	15.48
कोलंबिया	7.51
इंडोनेशिया	4.24
भारत	4.16

स्रोत: कॉफी बोर्ड

(ङ.) और (च) भारतीय कॉफी निर्यात 1960-61 के दौरान 19.7 हजार टन से बढ़कर 2021-22 में 416 हजार टन हो गया है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1093

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात

1093. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत रूस और अन्य देशों को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक निर्यात की गई दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के प्रकार, मात्रा, कीमत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात के लिए रूस और अन्य देशों में संभावित बाजार का उपयोग करने के लिए कोई और कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हां। भारत का रूस सहित विश्व को दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात नीचे दिया गया है:

(मूल्य यूएसडी मिलियन में)

वस्तु	इकाई	कुल निर्यात			
		2020-21		2021-22	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स					
बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स	किग्रा	32,44,01,275	4429.7	45,07,32,258	4468.53
ड्रग फॉर्मूलेशन, बायोलॉजिकल	किग्रा	31,83,16,963	19042.17	62,17,42,391	19,001.09
आयुष और हर्बल उत्पाद	किग्रा	12,05,58,428	539.88	12,61,12,132	612.13
सर्जिकल			6.87		8.17
कुल			**24,444.03**		**24,594.27**
चिकित्सा उपकरण	हजार टन	1158.15	2532.16	52.26	2934.02
	संख्या मिलियन में।	6742.88		6025.82	
	टुकड़े मिलियन में।	782.27		808.89	

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

(ग) और (घ): जी हाँ। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात के लिए रूस और अन्य देशों में संभावित बाजार का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं: -

(i) नए बाजारों को विकसित करने, नए उत्पादों और नए निर्यातकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मौजूदा भारतीय निर्यात बाजारों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य विभाग की मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एमएआई योजना के तहत समर्थित गतिविधियों में विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन/भाग लेना और उत्पाद पंजीकरण शुल्क, संयंत्र निरीक्षण शुल्क आदि जैसे वैधानिक अनुपालन पर निर्यातकों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करना शामिल है।

(ii) 15 दिसंबर 2022 से आरओडीटीईपी योजना (निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट) के तहत फार्मास्युटिकल उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों को शामिल किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्यातकों द्वारा शुल्कों/करों/उगाही का किया गया भुगतान जिन्हें अब तक रिबेट/रिफंड नहीं किया गया था, उन्हें रिफंड/रिबेट किया जाएगा, जिससे फार्मास्युटिकल उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

(iii) भारत द्वारा हस्ताक्षरित अभिनव व्यापार समझौते, अर्थात् भारत-यूएई व्यापक साझेदारी समझौता और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने भारतीय दवा उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापक बाजार पहुंच प्रदान की है।

(iv) भारतीय फार्मा निर्यातकों द्वारा उजागर किए गए बाजार पहुंच के मुद्दों को नियमित रूप से संबंधित भारतीय मिशनों के साथ-साथ इन देशों के साथ द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से व्यापार भागीदारों के साथ उठाया जाता है। रूस के मामले में, व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में बाधाओं और प्रतिबंधों के उन्मूलन पर भारत-रूस उप-समूह की बैठक हाल ही में 22 दिसंबर, 2022 को हुई थी जिसमें फार्मास्युटिकल क्षेत्र के व्यापार के मुद्दों को उठाया गया था।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1085**

वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार घाटा

1085. श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा भारत से सीमाएं साझा करने वाले कुछ पड़ोसी देशों से अनावश्यक आयात को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के क्या कारण हैं, और उन वस्तुओं का ब्यौरा (एचएस कोड-वार) क्या है जिनके आयात में चीन जैसे देशों से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार फर्मों को विविध स्रोतों से कच्चा माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठा रही हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क) और (ख): सरकार लगातार आयात की निगरानी कर रही है और वाणिज्य विभाग सभी संबंधित मंत्रालयों, हितधारकों और निर्यात संवर्धन परिषदों को आयात डेटा भेज रहा है और विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के साथ आयात की समीक्षा बैठकों की मेजबानी की है। तदनुसार सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें घरेलू क्षमता का निर्माण/बढ़ाना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, चरणबद्ध निर्माण योजना, व्यापार उपचार उपायों का समय पर उपयोग, अनिवार्य तकनीकी मानकों को अपनाना, उदगम के एफटीए नियमों (आरओओ) को लागू करना और आयात निगरानी प्रणाली का विकास शामिल है। कई उत्पादों के लिए भारतीय मानकों के अनुपालन को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विचारों के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे उत्पादों के लिए, केंद्र सरकार क्यूसीओ जारी करके बीआईएस से लाइसेंस या सम्पुष्टि प्रमाणपत्र (सीओसी) के तहत मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निर्देश देती है। साथ ही, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां भी बनाई गई हैं ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके।

(ग) उच्च विकास अर्थव्यवस्था के स्वाभाविक परिणाम के रूप में, उच्च घरेलू मांग भारत में आयात के लिए एक प्रमुख प्रेरणा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए "उज्ज्वल स्थान" के रूप में देखता है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अनुमानों के अनुसार, भारत तेजी से अधिक बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है और 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.8% रहने का अनुमान है और 2023 में 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान चीन और म्यांमार से एचएस 2 स्तर पर आयातित शीर्ष 10 वस्तुओं का विवरण निम्नानुसार है:

अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकारात्मक वृद्धि के साथ चीन से आयातित शीर्ष 10 वस्तुएं (एचएस 2)

मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य

क्र. सं.	**एचएस कोड**	**वस्तुएं**	**अप्रैल- नवंबर 2022 (अन.)**
1	85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और उनके पुर्जे; ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि और ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरूत्पादन और उनके पुर्जे	18888.2
2	84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; उसके पार्टस।	14411.59
3	29	जैविक रसायन	9380.79
4	39	प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं।	3891
5	72	लोहा और इस्पात	1347.54
6	73	लोहे या इस्पात की वस्तुएं	1287.25
7	38	विविध रासायनिक उत्पाद।	1272.8
8	87	रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, और उनके पुर्जे और सहायक उपकरण।	1184.54
9	76	एल्यूमीनियम और उसकी मदें	939.99
10	28	अकार्बनिक रसायन; कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, दुर्लभ-भू-धातुओं के, या रेडी तत्वों या आइसोटोप का।	862.65

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस ,अन. का मतलब अनंतिम है

अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकारात्मक वृद्धि के साथ म्यांमार से आयातित शीर्ष 10 वस्तुएं (एचएस 2)

मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य

क्र. सं.	**एचएस कोड**	**वस्तुएं**	**अप्रैल- नवंबर 2022 (अन.)**
1	8	खाद्य फल और मेवे; पील या साइट्रस फल या खरबूजे।	99.58
2	44	लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं; लकड़ी का कोयला।	36.14
3	40	रबड़ और उसकी मदें	15.42

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तुएं	अप्रैल- नवंबर 2022 (अन.)
4	3	मछली और क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय इन्वर्टाब्रेट्स	12.88
5	79	जिंक और उसकी मदें	12.69
6	78	सीसा और उसकी मदें	10.11
7	61	परिधान और वस्त्र उपसाधन की वस्तुएं, बुना हुआ या केशियाकृत ।	6.01
8	9	कॉफी, चाय, मेट और मसाले।	4.96
9	62	परिधान और क्लादिग असेसरीज, बुना हुआ या अकेशियाकृत नहीं।	4.36
10	72	लोहा और इस्पात	2.88

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, अन. पी का मतलब अनंतिम है

(घ): सरकार कच्चे माल के आयात सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बास्केट की बारीकी से निगरानी कर रही है और निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों और संबंधित मंत्रालयों को कच्चे माल के आयात की फ्लैगिंग करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं जिसमें आयात के वैकल्पिक स्रोतों के लिए विविधीकरण के सुझाव और मौजूदा घरेलू उत्पादन क्षमता के आधार पर वस्तुओं के लिए घरेलू स्तर पर कच्चे माल की सोर्सिंग शामिल हैं ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1082**

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

नकदी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

1082. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास नकदी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने के लिए मानदंड हैं जिनके आधार पर कतिपय नकदी फसलों का चयन किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस बात का ब्यौरा है कि रबड़, इलायची, चाय और कॉफी जैसी नकदी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित क्यों नहीं किया जाता है जबकि खोपरा और गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में रबड़, इलायची, चाय और कॉफी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर 22 अनिवार्य फसलों (खरीफ और रबी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी),तय करती है। अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलों अर्थात् धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिल्का युक्त मूंगफली सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, कपास और 6 (छह) रबी फसलों अर्थात गेहूं, जौ, चना, मसूर (मसूर), तोरिया/सरसों, सूरजमुखी और दो वाणिज्यिक फसलों अर्थात जूट और खोपरा के लिए भी

एमएसपी निर्धारित करती हैं। इसके अलावा, क्रमशः रेपसीड/सरसों और खोपरा की एमएसपी के आधार पर तोरिया और भूसी रहित (डि-हस्क्ड) नारियल के लिए एमएसपी तय की जाती है।

सीएसीपी, एमएसपी/एफआरपी के लिए सिफारिश करते समय 25 प्रमुख फसलों के लिए भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना के तहत उत्पन्न लागत अनुमानों पर भी विचार करता है। एमएसपी के निर्धारण में उत्पादन लागत (सीओपी) महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। सीएसीपी मुख्य उत्पाद और सह-उत्पादों की घरेलू और वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, उपभोक्ताओं उत्पादकों और समग्र अर्थव्यवस्था पर एमएसपी के संभावित प्रभाव, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग और अनिवार्य फसलों के एमएसपी की सिफारिश करते समय उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत जैसे कारकों पर भी विचार करता है।

(ग) से (च) : एमएसपी के तहत विचार की जाने वाली फसलें आम तौर पर प्रमुख कृषि वस्तुएं हैं जो व्यापक रूप से उगाई जाती हैं और खेती के तहत बड़े क्षेत्र हैं; काफी लंबी शेल्फ लाइफ के साथ बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुएं हैं; और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। चूंकि, रबर, इलायची, चाय और कॉफी आदि जैसी फसलें अधिकांश मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, इसलिए ये फसलें एमएसपी योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1081**

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

रबड़ पार्क

1081. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केरल के कोल्लम जिले के पठानपुरम तालुक में रबड़ पार्क की स्थापना और प्रचालन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का रबड़ पार्क के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) केरल के कोल्लम जिले के पठानपुरम तालुक में पिरावंतूर के रबड़ पार्क स्थल पर विकास कार्य पूरा कर लिया गया है। औद्योगिक इकाइयों को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

(ख) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

भारत सरकार | लोक सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 1079

वाणिज्य विभाग

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी

1079. डॉ. तालारी रंगैय्या:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में शामिल न होने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त निर्णय के लाभ-हानि पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार ने घरेलू उद्योग, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों के साथ-साथ राज्य सरकारों जैसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया और इनपुट प्राप्त किए, जिन्हें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ताओं में भारत की स्थिति तैयार करते समय ध्यान में रखा गया। इस तरह के परामर्शों के आधार पर, आरसीईपी में भारत की स्थिति को समान परिणाम प्राप्त करने, महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने और छोटे उद्यमियों सहित अपने हितधारकों की घरेलू संवेदनशीलताओं का समाधान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। जबकि आरसीईपी का उद्देश्य आरसीईपी देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करना था, आरसीईपी की संरचना से भारत के हितधारकों की महत्वाकांक्षाओं और चिंताओं को पर्याप्त रूप से समाधान नहीं होता था। इनके आलोक में, भारत ने आरसीईपी के मौजूदा स्वरूप में शामिल नहीं होने का फैसला किया। तदनुसार, बैंकॉक में 4 नवंबर, 2019 को आयोजित तीसरे आरसीईपी नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान , भारत ने अपनी स्थिति से अवगत कराया कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी के मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करती है या भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का समाधान नहीं करती है। हालाँकि, भारत ने पुन: बल दिया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की आर्थिक नीति का आधार रही है और आसियान देशों और अन्य व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत का जुड़ाव जारी रहेगा। उसके बाद से भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

*****

भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अतारांकित प्रश्न सं. **1060**
वाणिज्य विभाग	

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

निम्न गुणवत्ता वाली चाय का आयात

1060. श्री राजू बिष्टः

वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि अन्य देशों से भारत में निम्न गुणवत्ता वाली चाय का आयात किया जा रहा है, जिसे बाद में दार्जिलिंग चाय के रूप में लेबल किया जाता है विश्व बाजार में बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों से मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाली चाय के आयात को रोकने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय राजसहायता का भुगतान नहीं करने के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे संकटग्रस्त चाय बागान मालिकों की सहायता करने का इरादा रखता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुपिया पटेल)

(क) से (ग): वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में अन्य मूल की चाय का कुल आयात 25.97 मिलियन किलोग्राम था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में आयातित चाय का उद्गम-वार विवरण अनुबंध में दिया गया हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में चाय का कुल उत्पादन 1344.40 मिलियन किलोग्राम था और इस अवधि के दौरान आयात कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 1.93% था।

दार्जिलिंग चाय सर्टिफिकेशन ट्रेड मार्क और भौगोलिक संकेत द्वारा संरक्षित है और इसका एक अलग प्रतीक-चिन्ह है। भारत में आयातित चाय के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) चाय बोर्ड ने 11.11.2021 को चाय के सभी आयातकों और खरीदारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया कि आयातित चाय के उद्गम को सभी बिक्री

चालानों में दर्ज किया जाए और आयातित चाय को भारतीय मूल की चाय के रूप में न दिखाया जाए।

(ii) चाय के सभी वितरकों और ब्लेंडरों को निर्देशित किया गया है कि पैकेजिंग लेबल पर स्पष्ट रूप से यह इंगित होना चाहिए कि मिश्रित चाय की सामग्री आयात की गई है, आयातित चाय के उद्गम के स्रोत का उल्लेख किया जाए, चाहे आयातित चाय सीधे खरीदी गई हो या किसी मध्यस्थ के माध्यम से। .

(iii) भारत में वितरण के लिए भारत में चाय का आयात करने वाले सभी आयातक ऐसी चाय के भारत में प्रवेश के 24 घंटे के भीतर निकटतम चाय बोर्ड कार्यालय को ऐसी आयातित चाय के भंडारण के स्थान के बारे में सूचित करेंगे।

(iv) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नेपाल से चाय के खाद्य आयात की मंजूरी को सुदृढ़ करने के लिए लैंड कस्टम स्टेशनों (एलसीएस) और एफएसएसएआई में अधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित चाय बोर्ड, सीमा शुल्क अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया है।

चाय बोर्ड चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए 967.78 करोड़ रुपये के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए चाय विकास और संवर्धन योजना (टीडीपीएस) लागू कर रहा है। चाय बोर्ड बजट प्रावधानों और अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र चाय हितधारकों को सब्सिडी संवितरित करता है। सभी मामले जहां सब्सिडी स्वीकृत की गई थी, उन्हें वितरित कर दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 08/2/2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1060 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आयातित उद्गम-वार चाय

(मात्रा मिलियन किग्रा में)

देश	2021-22
अर्जेंटीना	1.05
ऑस्ट्रेलिया	0.03
चीन	0.39
जर्मनी	0.02
इंडोनेशिया	0.89
ईरान	0.36
जापान	0.01
केन्या	7.08
मलावी	0.28
मलेशिया	-
मोज़ाम्बिक	0.10
म्यांमार	0.04
नेपाल	11.12
नीदरलैंड	0.05
रवांडा	0.15
दक्षिण अफ्रीका	0.00
श्रीलंका	0.23
ताइवान	0.00
तंजानिया	0.18
टर्की	--
संयुक्त अरब अमीरात	0.60
अमेरीका	0.04
युगांडा	0.07
यूनाइटेड किंगडम	0.28
वियतनाम	2.57
ज़िम्बाब्वे	0.43
कुल	**25.97**

*** अनंतिम, संशोधन के अधीन।**

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1003

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

रणनीतिक भण्डार

1003 श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन ने ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा आयुध आपूर्ति श्रृंखला में उपयोग किए जाने वाले लिथियम, कोबाल्ट, निकल, एंटीमनी, इंडियम, जर्मेनियम और मोलिब्डेनम एसिड तथा अन्य तत्वों के सामरिक भंडार विकसित किए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इसकी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए उक्त तत्व के रणनीतिक भंडार को विकसित करने के लिए उपाय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): चीन की सरकार चीन के कार्यनीतिक या वस्तु भंडारों में रखे खनिज भंडारों की मात्रा से संबंधित डेटा जारी नहीं करती है।तथापि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा (अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज वस्तु सारांश, जनवरी 2022 की रिपोर्ट) के अनुसार, चीन के पास दुनिया के लिथियम के भंडार का 6.69% प्रतिशत है।

(ख) और (ग) : सरकार ने इन तत्वों और अन्य तत्वों के कार्यनीतिक भंडार विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। खान मंत्रालय के तत्वावधान में 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' (केएबीआईएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया, जिसने विदेशों में लिथियम सहित बारह पहचाने गए महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक विदेशी खनिजों की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त,भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने भी देश भर में कार्यनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर जोर दिया है।

परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जो परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारत सरकार का एक घटक है, को यूरेनियम, थोरियम, नाइओबियम, टैंटलम, बेरिलियम, लिथियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम और यूरेनियम और थोरियम युक्त रेअर अर्थ के खनिज संसाधनों की पहचान करने और मूल्यांकन करने का अधिदेश प्राप्त है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1022

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

बीज निर्यात

1022. श्री जुएल ओरामः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में बीज उद्योग 22,000 करोड़ रूपये मूल्य का है जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, परन्तु वैश्विक बीज व्यापार में भारत के निर्यात का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है, यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा बीज निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किए गए उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में कृषि अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम और उपाय कौन-कौन से हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) अंतर्राष्ट्रीय सीड फेडरेशन के डेटा के अनुसार, वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक बीज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.14% थी। बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। अक्टूबर, 2008 से भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) बीज स्कीमों का सदस्य रहा है। भारत छह ओईसीडी बीज स्कीमों अर्थात अनाज, मक्का, ज्वार, क्रुसिफर्स और अन्य तेल या फाइबर प्रजातियां, घास और फलियां और सब्जियां में भाग ले रहा है। ओईसीडी बीज स्कीमों में भाग लेने से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लेबल और प्रमाणपत्रों का उपयोग करके सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्राप्त होती है। जब से भारत ओईसीडी बीज स्कीमों में शामिल हुआ है, पूर्वोक्त फसलों की 250 से अधिक विभिन्न भारतीय किस्मों को वैराइटल प्रमाणन की ओईसीडी सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारत से बीज निर्यात में वृद्धि करने के लिए ओईसीडी बीज स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण एसोसिएशन (आईएसटीए) की सदस्यता को भी बढ़ावा दे रहा है। आईएसटीए मानक बीज परीक्षण विधियों को विकसित

करने में लगा हुआ है, गुणवत्ता वाले बीजों के व्यापार को सुगम बनाता है और खाद्य सुरक्षा में मूल्यवान योगदान देता है। भारत में आठ आईएसटीए प्रत्यायित सदस्य प्रयोगशालाएँ कार्य कर रही हैं।

भारत सरकार ने बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के साथ बीज क्षेत्र में सहयोग के लिए चर्चा के सीम रीप प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रोटोकॉल में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं: (i) संयुक्त किस्म मूल्यांकन और रिलीज (ii) किस्म जारी करने के लिए मूल्यांकन डेटा की पारस्परिक मान्यता (iii) समान कृषि-पारिस्थितिकी में वाणिज्यीकरण के लिए विचार करने हेतु पड़ोसी देशों में जारी किस्मों के मूल्यांकन के लिए समय को कम करना (iv) मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग का उपयोग करके उत्पन्न किस्मों के मूल्यांकन के लिए समय को कम करना (v) पूर्व-रिलीज़ बीज गुणन और संवर्धन का प्रावधान (vi) निजी क्षेत्र को उनकी कार्यव्यस्तता के लिए समान अवसर प्रदान करके प्रोत्साहित करना और (vii) भागीदार देशों में बीज प्रणाली दिशानिर्देशों और विनियमों का सामंजस्य करना।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने निजी कंपनियों द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से निवेश के लिए एक नीति तैयार की है। बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, आईसीएआर अपने भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ (यूपी) के माध्यम से बीज क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी नेटवर्क परियोजना अर्थात बीज (फसलों) पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के समन्वय के अलावा आधारभूत, कार्यनीतिक और अग्रिम अनुसंधान करने में लगा है। आईसीएआर-आईआईएसएस मऊ के सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ मजबूत संबंध हैं। निजी भागीदारों के साथ कई सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1012

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाम तेल

1012. श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पाम तेल के किसानों और इसके घरेलू उत्पादन के संरक्षण के लिए कदम उठा रही है क्योंकि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए पाम तेल पर आयात शुल्क को शून्य कर दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर पाम तेल के किसानों को इसकी कीमत में प्रति टन 10000 रुपये से अधिक की गिरावट का सामना करना पड रहा है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मौजूदा लागत के आधार पर स्थानीय उत्पादन को बनाए रखने के लिए, आयात शुल्क के एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने पर स्थानीय पाम तेल के किसानों को सहायता देने का विचार कर रही है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): हालांकि कच्चे पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क शून्य है, कच्चे पाम तेल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर(एआईडीसी) 5% और सामाज कल्याण अधिभार 10% सहित प्रभावी आयात शुल्क 5.5% है। रिफाइंड पाम तेल पर प्रभावी आयात शुल्क 13.75% है जिसमें शून्य एआईडीसी और 10% समाज कल्याण अधिभार शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य तेलों में देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी)' शुरू किया गया है। यह मिशन 5 वर्षों में अर्थात 2021-22 से 2025-26 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को लाएगा। एनएमईओ-ओपी के तहत, लागत को सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% के रूप में साझा की जाएगी।

(ग) और (घ): कच्चे पाम तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव और बाजारों में अस्थिरता से किसानों को रक्षा करने के लिए, सरकार ने तेल पाम किसानों को निश्चित रिटर्न देने के लिए ताजे फल गुच्छों (एफएफबी) के व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) की अवधारणा पहली बार शुरू की है।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.999

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

जैविक कपास का प्रमाणन

999. श्री के. षणमुग सुंदरमः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जैविक कपास के प्रमाणन में चल रहे घोटाले की जानकारी है जिसमें निर्यात के प्रयोजनार्थ गैर-जैविक कपास को गलत तरीके से जैविक के रूप में प्रमाणित किया जाता है और यदि हाँ , तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): ऐसी कोई विशिष्ट सूचना इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख): राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में प्रमाणन निकायों (सीबी) के प्रत्यायन के लिए जैविक उत्पादन, प्रणाली, मानदंड और प्रक्रिया के लिए मानक का प्रावधान है। इन मानकों और प्रक्रियाओं को जैविक उत्पादों के आयात और निर्यात को विनियमित करने वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रक्रिया तैयार किया गया है।

एनपीओपी विभिन्न जैविक कृषि फसलों, पशुधन उत्पादन, मधुमक्खी पालन, एक्वाकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलिंग के लिए प्रमाणन निकायों (सीबी) द्वारा संचालित एक तृतीय पक्ष प्रत्यायन और प्रमाणन प्रणाली है।

कपास के मामले में, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) मानक में कच्चे कपास के उत्पादन स्तर तक विनियमन शामिल हैं। आगे, निर्यात के लिए कपास को वस्त्र का रुप देना एनपीओपी के अंतर्गत शामिल नहीं है।

एनपीओपी मानकों के अध्याय 4 के अन्तर्गत जोखिम आकलन, निरीक्षण एवं निगरानी और मंजूरी के लिए अंतर्निहित प्रावधान और जांच हैं।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.974

<u>दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

जीईएम पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता

974. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी ई-बाजार (जीईएम) पर पंजीकृत विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और नए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या का राज्य और वर्ष-बार ब्यौरा क्या है, जो जीईएम पोर्टल पर उत्पाद बेचने में सक्षम हैं;
(ख) उक्त पोर्टल पर कुल पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं में से कितने आपूर्तिकर्ता वहां के व्यापारिक कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं; और

(ग) देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा गुजरात से इस पोर्टल पर भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ताओं का ब्यौरा और संख्या कितनी है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर पंजीकृत जो उन्हें जीईएम पर बेचने में सक्षम बनाता है, विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और नए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में उल्लिखित है ।

(ख): जीईएम पर सक्रिय आपूर्तिकर्ता की कोई परिभाषा नहीं है। पंजीकृत आपूर्तिकर्ता अपनी रुचि, उत्पादों की उपलब्धता और अन्य कारकों के आधार पर किसी भी बोली में भाग लेने का निर्णय लेते हैं। सभी पंजीकृत विक्रेताओं को बाज़ार और बोलियों में भाग लेने का समान अवसर है। सफलतापूर्वक आदेश देना क्रेता की आवश्यकता और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत की पेशकश करके आवश्यकता को पूरा करने की विक्रेता की क्षमता पर निर्भर करता है।

(ग): दिनांक 01-02-2023 तक कुल 1,01,525 विक्रेताओं ने गुजरात से पोर्टल पर भाग लिया है, देश के बाकी आंकड़े की तुलना में लगभग 8.34% है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 08.02.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 974 के भाग क के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध ।

सरकारी–ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर पंजीकृत विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और नए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या का राज्य और वर्ष-वार विवरण जो उन्हें जीईएम पर बिक्री के लिए सक्षम बनाता है, निम्नानुसार है:

क्रेता विवरण :

वित्तीय वर्ष वार क्रेता पंजीकरण		
वित्तीय वर्ष	प्राथमिक उपयोगकर्ताओं की संख्या	द्वितीयक उपयोगकर्ताओं की संख्या
वित्त वर्ष 16-17	2,286	3,091
वित्त वर्ष 17-18	18,886	50,459
वित्त वर्ष 18-19	13,975	33,977
वित्त वर्ष 19-20	10,053	28,063
वित्त वर्ष 20-21	6,892	24,669
वित्त वर्ष 21-22	7,607	22,371
वित्त वर्ष 22-23 (01.02.23 तक)	6,560	15,327
	66,259	1,77,957

क्रेताओं का राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण**		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक उपयोगकर्ताओं की संख्या	द्वितीयक उपयोगकर्ताओं की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	263	907
आंध्र प्रदेश	1,341	2,359
अरुणाचल प्रदेश	357	636
असम	1,207	2,431
बिहार	3,628	5,037
चंडीगढ़	598	2,216
छत्तीसगढ	1,463	4,294
दादरा और नगर हवेली	68	178
दमन और दीव	177	260
दिल्ली	3,268	21,450
गोवा	313	544
गुजरात	4,649	14,056
हरियाणा	2,053	5,142
हिमाचल प्रदेश	894	3,907

जम्मू और कश्मीर	5,240	8,703
झारखंड	1,556	3,991
कर्नाटक	2,757	5,480
केरल	3,671	5,399
लद्दाख	26	133
लक्षद्वीप	20	43
मध्य प्रदेश	5,109	17,414
महाराष्ट्र	6,152	17,349
मणिपुर	279	424
मेघालय	228	625
मिजोरम	126	179
नागालैंड	207	318
ओडिशा	2,254	4,225
पुडुचेरी	214	672
पंजाब	2,281	3,744
राजस्थान	2,708	7,173
सिक्किम	171	249
तमिलनाडु	2,216	6,926
तेलंगाना	1,087	2,776
त्रिपुरा	280	701
उत्तर प्रदेश	5,792	18,996
उत्तराखंड	1,358	3,044
पश्चिम बंगाल	2,248	5,976
	66,259	1,77,957

विक्रेता विवरण:

13,18,192 विक्रेता ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में स्वयं को पंजीकृत कराया है जिससे वे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को सीधे अपने उत्पाद बेच सकें । विवरण निम्नानुसार हैं -

वर्ष-वार विवरण	
वित्तीय वर्ष	नए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या जिन्होंने स्वयं को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर पंजीकृत किया है और जीईएम पर बेचने के लिए सक्षम बनाने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल पूरी की है ।
वित्त वर्ष 16-17	3,251
वित्त वर्ष 17-18	31,686
वित्त वर्ष 18-19	78,647

वित्त वर्ष 19-20	94,496
वित्त वर्ष 20-21	8,42,925
वित्त वर्ष 21-22	1,59,711
वित्त वर्ष 22-23 (01.02.23 तक)	1,07,466
	13,18,192

राज्य-वार विवरण	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन आपूर्तिकर्ताओं की संख्या जिन्होंने स्वयं को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर पंजीकृत किया है और जीईएम पर बेचने के लिए सक्षम बनाने के लिए अपना प्रोफाइल पूरा किया है।
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,216
आंध्र प्रदेश	54,275
अरुणाचल प्रदेश	1,830
असम	20,647
बिहार	35,912
चंडीगढ़	5,120
छत्तीसगढ	19,255
दादरा और नगर हवेली	762
दमन और दीव	470
दिल्ली	87,841
गोवा	2,624
गुजरात	1,01,525
हरियाणा	45,407
हिमाचल प्रदेश	7,930
जम्मू और कश्मीर	21,096
झारखंड	22,882
कर्नाटक	61,851
केरल	30,747
लद्दाख	338
लक्षद्वीप	30
मध्य प्रदेश	57,804
महाराष्ट्र	2,24,299
मणिपुर	7,473
मेघालय	1,939
मिजोरम	939

नागालैंड	2,075
ओडिशा	28,306
पुडुचेरी	2,608
पंजाब	35,921
राजस्थान	63,450
सिक्किम	347
तमिलनाडु	96,155
तेलंगाना	53,025
त्रिपुरा	5,614
उत्तर प्रदेश	1,48,122
उत्तराखंड	16,900
पश्चिम बंगाल	50,457
	13,18,192

****